

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

पत्रांक सं: 451/24 स/70/90/12

दिनांक 09/05/2013

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में गतिमान निविदा प्रक्रिया के विषय में संज्ञान में आया है कि प्रायः निविदा प्रक्रिया में निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने हेतु पर्याप्त समय इच्छुक निविदादाताओं को नहीं दिया जाता है, जिससे अपेक्षित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश एतद्वारा दिये जाते हैं।

1. सामान्य निविदा प्रक्रिया में तिथियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

(i) निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय (ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया हेतु) / निविदा प्रपत्र बेचने की प्रारम्भ तिथि (पत्र आधारित निविदा प्रक्रिया हेतु)	
(ii) निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय / निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि	क्रम संख्या (i) की तिथि एवं समय से 30 दिवस उपरान्त
(iii) निविदा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय / निविदा डालने की प्रारम्भ तिथि	क्रम संख्या (ii) की तिथि एवं समय से 10 दिवस पहले
(iv) निविदा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय / निविदा डालने की अंतिम तिथि	क्रम संख्या (ii) की तिथि एवं समय
(v) निविदा खोलने की तिथि एवं समय	क्रम संख्या (iv) की तिथि एवं समय से 30 मिनट उपरान्त

सामान्य निविदा प्रक्रिया में निविदा की वैधता 120 दिवस होगी।

2. अल्पकालीन निविदा प्रक्रिया में तिथियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

(i) निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय (ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया हेतु) / निविदा प्रपत्र बेचने की प्रारम्भ तिथि (पत्र आधारित निविदा प्रक्रिया हेतु)	
(ii) निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय / निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि	क्रम संख्या (i) की तिथि एवं समय से 15 दिवस उपरान्त
(iii) निविदा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय / निविदा डालने की प्रारम्भ तिथि	क्रम संख्या (ii) की तिथि एवं समय से 7 दिवस पहले
(iv) निविदा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय / निविदा डालने की अंतिम तिथि	क्रम संख्या (ii) की तिथि एवं समय
(v) निविदा खोलने की तिथि एवं समय	क्रम संख्या (iv) की तिथि एवं समय से 30 मिनट उपरान्त

अल्पकालीन निविदा प्रक्रिया में निविदा की वैधता 60 दिवस होगी।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभावी होंगे।

9/5  
(ई0 ललित मोहन)  
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

- मुख्य अभियन्ता स्तर-2, (कु0/ग0क्ष0), लो0नि0वि0, अल्मोडा/पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9  
प्रमुख अभियन्ता